न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(क) पंचायतीराज अधिनियिम 1994

प्रकरण संख्या– 11/2022

1. भंवरलाल पुत्र श्री जोतराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

–आवेदक/प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत नीमला पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

–अनआवेदकगण/अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री संजय जोशी, श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

श्री मनीष जायसवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–03

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय दिनांकः–05.02.2024

प्रार्थी भंवरलाल पुत्र श्री जोतराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 09.06.2022 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:04 IST
Reason: SelfAttested

1. आवेदक की तरफ से एक [illegible] दीवानी भंवरलाल बनाम ओम प्रकाश आदि इस आशय की प्रस्तुत की [illegible] कि [illegible] के दादा स्व० रामचन्द्र पुत्र श्योजीराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तह[illegible] नोहर के नाम से आब[illegible] नीमला में एक आवासीय भूख[illegible] फुट, दक्षिणी हद 85 [illegible] हद 70 फुट और पश्चिमी हद 100 फुट की है तथा जिसकी उतरी सीमा पर 40 फुट का रास्ता, दक्षिण में सुरजाराम का प्लॉट, पूर्व में खाली मैदान तथा पश्चिम में 65 फुट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तक फुसाराम व 35 फुट तक गंगाराम के प्लॉट लगते है, जिसका पट्टा संख्या 78 मिसल संख्या 19 दिनांक 02.05.1963 को ग्राम पंचायत नीमला से जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज तथा उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट पट्टाशुदा भूखण्ड के दक्षिणी तरफ जो सुरजाराम का प्लाट लगता है सुरजाराम रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का दादा था। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ मिलकर कतई गैर काननी ढंग से अपीलान्ट के पट्टा शुदा भूखण्ड की भूमि को अपने कब्जा में दर्शाकर कतई गलत और विधि विरूद्ध तरीके से अपने कब्जे से ज्यादा भूमि का अपीलाधीन पट्टा सख्या 38 दिनांक 12.04.2013 को जारी करवा लिया। अपीलकृत पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई ईतिला नहीं की गई और ना ही पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की नाप की जांच की गई, पट्टा कतई गुपचुप तरीके से जारी किया गया है। अपीलाधीन पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जा से अधिक अपीलान्ट के पट्टा की भूमि का जारी किया गया है। जो केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के कथन के आधार पर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो किसी तरह की कोई सार्वजनिक सूचना साया की गई, ना ही पंचायत मुख्यालय में बोर्ड पर कोई नोटिस चस्पा किया गया और ना ही किसी आमो खास को ईतिल्ला की गई। अपीलाधीन पट्टा पर ग्राम सचिव व पंचो के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलकृत पट्टा प्रारूप 23 क नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। कानूनन इस प्रकार के पट्टे जारी करने से पूर्व पट्टा में वर्णित की जाने वाली भूमि का आधार दस्तावेज होना आवश्यक है। परन्तु इस मामले में ऐसे किसी भी कानून की पालना नहीं की गई। इसलिए अपीलकृत पट्टा गैर कानूनी है। जिसे खारीज किया जावे। अपीलान्ट सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर में निवास करता है। दिनांक 24.01.2016 को जब अपीलान्ट अपने गांव आया तो अपने पट्टेशुदा घर को संभाला तो पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की भूमि में काफी हद तक अतिक्रमण कर रखा है.। जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से इस बाबत कहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तथाकथित पट्टा संख्या 38 अपने पक्ष में जारी होना बताया। जिस पर अपीलान्ट को अपीलाधीन पट्टा का ज्ञान हुआ। जिस पर अगले दिन 25.01.2016 को उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रति ली और फिर बिना किसी देरी के अपील पेश कर रहा है जो ज्ञान से मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:53:04 IST
Reason: SelfAttested

यह निगरानी आवेदक निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है—

(क) निर्णय दिनांक 09.06.2022 बअदालत मातहत खिलाफ कानून, नियम व वाक्यात रूहदाद मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य के खिलाफ तथा निर्णय दिनांक 09.06.2022 काबिल खारीजी है।

(ख) मातहत अदालत ने बिना किसी विश्लेषण के कतई मनमाना स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारीत किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(ग) मातहत अदालत ने इस तथ्यों का गौर ही नहीं किया गया की पट्टा पुराने गृहो के कब्जों के प्रारूप 23 के नियम 157 (1) के तहत पुराने गृहो एवं कब्जे के आधार पर 300 वर्गगज क्षेत्रफल तक का पट्टा जारी किया जाता है जबकि अप्रार्थी का भूखण्ड पर कब्जा भी नहीं था तथा आवेदक की आंशिक भूमि को सम्मिलित कर पट्टा बनाया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये के पट्टा जारी करवाया गया है पट्टा जारी करते समय किसी कानून की पालना नहीं की गई तथा मातहत अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया हैं।

(घ) मातहत अदालत द्वारा पट्टा संख्या 38 दिनांक 12.04.2013 को जारी पट्टा के सम्बन्ध में मूल रिपोर्ट पंचायत समिति नोहर द्वारा चाही गई तब ग्राम विकास अधिकारी नीमला द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि पट्टा बही में पट्टा संख्या 38 दिनांक 12.06.2014 को जारी पट्टा में काले पेन द्वारा दो लाईन सीधी लगी हुई है मूल पट्टा की प्रथम व अन्तिम कॉपी पट्टा बही में है द्वितीय कॉपी पंचायत समिति नोहर में भिजवाना बताया गया है। ग्राम पंचायत की पट्टा बही संख्या 29 एवं पट्टा संख्या 38 की दोनो प्रतियों पर काले पेन से दो-दो लाईन लगी हुई है। अन्य रिकार्ड आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र व मिसल आदि ग्राम पंचायत नीमला में नहीं पाया गया है तथा पट्टा संख्या 38 की मूल प्रति पर हाथ से निरस्त लिखा हुआ है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है एवं दिनांक 29.10.2021 को पंचायत समिति नोहर के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से पुनः अनुमोदित जवाब मांगने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पंचायत के रिकार्ड की कॉपी पर क्रास लगाया गया है जिस प्रस्ताव में इस पट्टे को जारी करना दिखाया गया है ऐसी बैठक ग्राम पंचायत के मूल रिकार्ड में नहीं मिली है तथा कार्यवाही का अवलोकन करने पर इस तरह की बैठक व प्रस्ताव का पारित नहीं होना पाया गया ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पट्टा जन्मजात से ही शुन्य था मातहत अदालत ने अपील अस्वीकार कर पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 का बहाल रख कर कानूनी गलती की है।

(ङ) यह कि मातहत अदालत द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा मौका देखा ही [illegible] मात्र टेबल रिपोर्ट तैयार की गई तथा दोनो रिपोर्ट में भिन्नता है। जिसमें [illegible] की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अनावेदक का पट्टा जिसे स्पष्ट रूप से क्रॉस किया गया था एवं जिसका पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:53:04 IST
Reason: SelfAttested

(च) मातहत अदालत से कानून के खिलाफ केवल राजनैतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय पारित किया है। लिहाजा यह निगरानी आवेदक/प्रार्थी पेश कर निवेदन है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कि निगरानी आवेदक स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 09.06.2022 मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावे तथा पट्टा संख्या 38 दिनांक 12.06.2014 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की और से श्री संजयकुमार जोशी एडवोकेट एंव श्री सत्यनारायण कायल एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 की तलबी हेतू जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये। अप्रार्थी संख्या–03 की ओर से श्री मनीष जायसवाल एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोंहर से निगरानीधीन निर्णय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय कानूनी प्रक्रिया का भलीभांति पालन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि ग्राम पंचायत नीमला की पट्टा बही संख्या 29 में पट्टा संख्या 38 पर काले पेन से दो क्रॉस लाईन लगी हुई है एंव अन्य दस्तावेज आवेदन पत्र, शपथ–पत्र, व मिसल आदि ग्राम पंचायत नीमला में नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 को अपास्त किया जाता है एंव पट्टा संख्या 38 दिनांक 12.06.2014 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जा कर आज दिनांक 5.2.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:53:04 IST
Reason: SelfAttested